2. कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

3. अर्द्ध-कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

4. हल्के/मध्यम/भारी वाहन चालक

5. सभी श्रेणियों के लिपिकीय कर्मकार जिनमें आशुलिपिक, स्टोरकीपर, टाइमकीपर, टाइपिस्ट आदि शामिल है।

6. घरेलू नियोजन को छोड़कर अन्य रसोइये।

Modification in Minimum Wages

1144. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE : Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1592 given in the Rajya Sabha on the 23rd August, 1992 and state :

(a) whether Government have finalised tht, modification of minimum wages;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what steps are being taken by Government to strengthen Minimum Wages Act and increase the rate of wages?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) The proposals to amend the Minimum Wages Act, 1948 have not yet been finalised.

(b) The proposal under consideration is to revise the minimum wages at intervals not exceeding two years unless the minimum rates of wages so fixed or revised consist of a component of Variable Dear-ness Allowance.

(c) Pending amendment of the Act, the State Governments and, Union Territory Administrations have been requested to; fix minimum wages with a component of Variable Dearaess allowance linked to All India Consumer Prices Index.

विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे का भुगतान

1145. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में एक समान चोट लगने के बावजूद भी मुआवजे की भिन्न-भिन्न धनराशियों का भुगतान किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस विषमता को समाप्त करके मृतकों के निकटतम संबंधियों को मुआवजे की समान धनराशि प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाली दुर्घटना (जिसमें कतिपय व्यावसायिक बीमारियाँ शामिल हैं) द्वारा चोट लगने तथा उसके द्वारा विकलांग होने अथवा मृत्यु हो जाने के मामले में कर्मकारों तथा उसके आश्रितों को मुआवजे का भुगतान किये जाने का प्रावधान है इस अधिनियम के अन्तर्गत, कर्मकार की विकलांगता अथवा मृत्यु के समय उसकी आयु तथा मजदूरी के आधार पर मुआवजे की धनराशि निर्धारित की जाती है। मुआवजे की धनराशि का अनुमान लगाने का यह तरीका उचित और तर्कसंगत है अतः उसमें कोई परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

Group Insurance Scheme for Beedi Workers in Madhya Pradesh

1146. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have introduced a group insurance scheme for the Beedi Workers in Madhya Pradesh and other parts of the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) how many Beedi Workers in the Stat© of Madhya Pradesh are likely to be benefited by the Scheme;